Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA.

Anganbari Appeal No.- 04 /2024

Soni Kumari.....Appellant

Versus

The State of Bihar & Ors.....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	05-6-2024	**—:आदेश:—** प्रस्तुत आंगनबाड़ी अपील वाद जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदे" ा ज्ञापांक— 453, दिनांक— 18.3.2024 के विरूद्ध दायर किया गया है। उभय पक्षों को सुना। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी बाल विकास परियोजना, रूपौली, जिला—पूर्णिया अंतर्गत ग्राम पंचायत— गोड़ियर, आंगनबाड़ी केन्द्र सं0— 36 में दिनांक— 27.01.2004 से सेविका पद पर चयनित होकर अपने कर्त्तव्यों का निश्ठापूर्वक निर्वहन कर रही थी। इनके विरूद्ध कभी भी किसी प्रकार की कोई शिकायत नही रहा। जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के आदेश ज्ञापांक— 635, दिनांक— 06.3.2024 के आलोक में गठित टीम द्वारा उक्त केन्द्र पर बच्चों को दिये जाने वाली पोशाक राशि वितरण का स्थलीय जॉच किया गया। केन्द्र पर उपस्थित महिलाओं से पूछताछ में बताया गया कि उन्हें 400 रूपये की दर से राशि वितरित की गई है, जबकि उक्त केन्द्र के पोशक क्षेत्र के कुछ लाभूकों के अभिभावको द्वारा पोशाक दिये जाने की बात बतायी गई। जिससे पोशाक राशि वितरण में विभागीय निदेश का उल्लंघन पाते हुए जॉच प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के समक्ष समर्पित किया गया। फलस्वरूप जिला पदाधिकारी ने अपीलार्थी के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई करने के निदेश के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (ICDS) द्वारा उक्त आदेश ज्ञापांक— 453, दिनांक— 18.03.2023 को सेविका पद से चयनमुक्त कर दिया गया, जो न्यायोचित एवं विधि सम्मत नही है। इनका आगे कथन है कि निम्न न्यायालय आदेश तथ्यों से परे एवं विधि—विरूद्ध है। उल्लेखनीय है कि अपीलार्थी के विरूद्ध समर्पित जॉच प्रतिवेदन एवं जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के निदेशालोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने अपीलार्थी से बिना कोई कारणपृच्छा अथवा इन्हें अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान किये चयनमुक्ति का वृहत दण्डादेश पारित किया जाना न सिर्फ नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के प्रतिकूल है, अपितु मार्गदर्शिका में निरूपित प्रावधनों के सर्वथा विरूद्ध भी है। निम्न न्यायालय आदेश में यह आरोप दर्ज है कि कुछ महिलाओं द्वारा पो" ाक राशि के क्रमशः	

Web copy Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-6-2024**	रूप में 400 रूपये प्राप्त करना बताया गया है, जबकि लाभुको के कुछ अभिभावक द्वारा पोशाक दिये जाने की बात कही गई है, जो परस्पर विरोधाभासी है। जॉच दल ने उक्त आराप के समर्थन में किसी भी लाभार्थी/अभिभावक का बयान दर्ज नहीं किया है और न ही अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यालय निरीक्षण पंजी में किसी प्रकार की प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की गई है, जिससे स्पश्ट है कि उक्त आरोप पूर्णतः निराधार है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को अवसर प्रदान करते हुए लाभार्थियों अथवा अभिभावको का परीक्षण/प्रतिपरीक्षण कराया जाना न्यायहित में आवश्यक था, जो कि नही कराया गया है। जिससे स्पश्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पोशाक राशि के बदले पोशाक वितरण करने का आरोप मनगढंत एवं निराधार है। अपीलार्थी के लगभग बीस वर्शो के सेवाकाल में इससे पूर्व इनके विरूद्ध किसी प्रकार की कोई प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज नही है। निम्न न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के पक्षों की बिना सुनवाई किये चयनमुक्ति जैसे वृहत दण्ड अधिरोपित करना किसी भी दृश्टिकोण से न्यायोचित नही है। उल्लेखनीय है कि विभागीय पत्रांक– 956, दिनांक– 14.03.2012 एवं समय–समय पर संशोधित प्रावधानों का अनुपालन निम्न न्यायालय द्वारा नही किया गया है। जिससे प्रश्नगत आदेश स्वतः खंडित हो जाना चाहिए। अपीलार्थी द्वारा किसी भी लाभार्थी अथवा उनके अभिभावक को पोशाक नही दी गई है बल्कि सभी लाभार्थियों को 400 रूपये प्रति लाभार्थी की दर से नकद भुगतान की गई है। उल्लेखनीय है कि परिवादिनी कविता कुमारी (वार्ड सदस्या वार्ड सं0–3) द्वारा स्वयं भी एवं उप सरपंच द्वारा राशि वितरण पंजी पर हस्ताक्षर अंकित किया गया है, जिससे प्रमाणित है कि अपीलार्थी द्वारा पाशाक वितरण नही कर राशि वितरित की गई है। विभागीय पत्रांक– 956, दिनांक– 14.3.12 की कंडिका–3 में वर्णित प्रावधानों का सर्वथा अनदेखी करते हुए आनन–फानन में जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। जिससे स्पश्ट है कि अपीलार्थी द्वारा पोशाक राशि के बदले पो" ाक वितरण करने का आरोप मनगढ़ंत एवं निराधार है। निम्न न्यायालय आदेश मार्गदर्शिका में निरूपित प्रावधानों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है, जिसमें इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की नितांत आवश्यकता है। इस प्रकार इनकी ओर से अपील स्वीकृत करने की प्रार्थना की गई है। दूसरी तरफ जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया ने पत्रांक– 606, दिनांक– 20.4.2024 द्वारा मंतव्य प्रतिवेदन समर्पित करते हुए कहा है कि जिला पदाधिकारी, पूर्णिया का आदेश ज्ञापांक– 635, दिनांक–06.3.2024 के आलोक में गठित कमिटी द्वारा उक्त केन्द्र का स्थलीय जॉच किया गया जिसमें केन्द्र पर उपस्थित महिलाओं से पूछ–ताछ करने पर कुछ महिलाओं द्वारा बताया गया कि उन्हें 400 रूपये की दर से राशि वितरण क्रमशः	

Web Copy, Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-6-2024**	किया गया है, किन्तु पोशक क्षेत्र म जाकर पूछ–ताछ करने पर कुछ लाभूक के माता/अभिभावक द्वारा पोशाक दिये जाने की बात कही गई। समर्पित जॉच प्रतिवेदन के आलोक में जिला पदाधिकारी, पूर्णिया के पत्रांक– 669, दिनांक– 9.3.2024 द्वारा सेविका सोनी कुमारी के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई हेतु निदेशित किया गया। अपीलार्थी द्वारा पोशाक राशि वितरण में अनियमितता के कारण कार्यालय आदेश ज्ञापांक– 453, दिनांक– 18.3.2024 द्वारा इन्हें तत्काल प्रभाव से चयन मुक्त किया गया है। उभय पक्षों को सुनने तथा अभिलेख में संलग्न सुसंगत कागजातों /साक्ष्यों के अवलकोन एवं समीक्षापरांत यह स्पश्ट है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों को दिये जाने वाली पोशाक राशि में अनियमितता बरते जाने से संबंधित है। निम्न न्यायालय आदेश में यह उल्लेख है कि स्थलीय जॉच के क्रम में केन्द्र पर उपस्थित महिलाओं द्वारा उन्हें 400 रूपये की दर से राशि वितरण किये जाने की बात कही गई, किन्तु पोशक क्षेत्र में पूछ–ताछ करने पर कुछ लाभूकों के अभिभावक द्वारा पोशाक दिये जाने की बात बतायी गई है, जो परस्पर विरोधाभासी है। अपीलार्थी द्वारा लाभूकों के बीच 400 रूपये प्रति लाभार्थी को दर से नकद भुगतान करने का वितरण पंजी साक्ष्य स्वरूप संलग्न किया गया है, जिस पर परिवादिनी कविता कुमारी, वार्ड सं0– 3 एवं उप सरपंच का हस्ताक्षर अंकित है, जिससे पोशाक राशि के बदले पोशाक वितरण करने का आरोप प्रमाणित नही होता है। निदेशक समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) निदेशालय, बिहार (समाज कल्याण विभाग) पटना द्वारा निर्गत पत्रांक– 956, दिनांक– 14.03.12 की कंडिका– III का अवलोकन किया। जिसमें यथा उल्लिखितः– (III) **जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में देखा गया है कि केन्द्रों की जॉच के पश्चात् जॉच पदाधिकारी द्वारा स्पष्ट मंतव्य नही दिया जाता है, बयान तथा प्रतिवेदन में विरोधाभास भी देखा गया है।** अतः 1. यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जॉच पदाधिकारी बिल्कुल स्पश्ट मंतव्य अंकित करें ताकि निर्णय लेने में एकरूपता तथा पारदर्शिता रहे। केन्द्र पर पाये गए हर अनियमितताओं के लिए लाभुकों के तीन बयान लिये जाएँगे। 2. आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के क्रम में जॉच दल द्वारा सर्वप्रथम पंजी के अनुसार उस आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजीकृत बच्चों का भौतिक सत्यापन किया जाय। यह भी देख लेने की आवश्यकता है कि केन्द्र पर उपस्थित बच्चे पंजीकृत ह अथवा नही तथा इसका उल्लेख जॉच प्रतिवेदन में किया जाय। क्रमशः	

Web Copy-Not Official.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	लगातार **05-6-2024**	3. जिला स्तरीय एवं राज्य स्तरीय जॉच दल आंगनबाड़ी केन्द्रों की जॉच के अतिरिक्त उस परियोजना में किये गए सैम्पूल जॉच के आधार पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्य कलापों के संबंध में भी अपना मंतव्य अंकित करे। 4. जॉच के क्रम में जो बयान लिये जाते है उसमें यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि जिस व्यक्ति का ब्यान लिया जा रहा है उनके बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत है। बेहतर होगा कि ऐसी स्थिति में पंजीकृत बच्चों का नाम पंजीकरण संख्या भी अंकित किया जाय। उपरोक्त विभागीय पत्रांक के आलोक में जाँच दल द्वारा विभागीय निदेश के आलोक में कम से कम तीन वैसे लाभूकों का ब्यान दर्ज किये जाने चाहिए थे जिनके बच्चे आंगनबाड़ी केन्द्रों में पंजीकृत हो, जिसमें पंजीकृत बच्चो का नाम तथा पंजीकरण संख्या भी अंकित होना चाहिए था। जाँच दल द्वारा प्रश्नगत आंगनबाड़ी केन्द्र पर पंजी के अनुसार बच्चे का भौतिक सत्यापन किया जाना मार्गदर्शिका के आलोक में जरूरी था। विभागीय पत्रांक–956, दिनांक– 14.03.2012 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुपालन किये जाने का कोई साक्ष्य परिलक्षित नही होता है। उल्लेखनीय है कि निम्न न्यायालय द्वारा नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के तहत अपीलार्थी के पक्षों की सुनवाई करते हुए समुचित आदेश पारित किया जाना चाहिए था। ऐसा नही कर सीधे चयनमुक्ति जैसे वृहद दण्ड अधिरोपित करना नैसर्गिक न्याय सिद्धांत के सर्वथा प्रतिकूल है। अतः उपरोक्त के आलोक में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक– 453, दिनांक– 18.3.2024 को प्रावधानों के अनुरूप विधि सम्मत एवं न्यायोचित नही पाते हुए निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी को उक्त केन्द्र के सेविका पद पर पुनः बहाल करने का आदेश दिया जाता है। चयन मुक्ति अवधि का अपीलार्थी को किसी प्रकार का मानदेय भुगतेय नही होगा। अपील आवेदन स्वीकृत। इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है। आदेश की प्रति सभी संबंधितो को भेजते हुए निम्न न्यायालय मूल अभिलेख वापस भेजें। लेखापित एवं शुद्धित। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया। आयुक्त, पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।	

WebCopy. Not Official.